भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1558

दिनांक 03.05.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

अपराध हेतु जांच करने वाली इकाइयां

†1558. श्रीमती के. मरगथम:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का महिलाओं के विरूद्ध अपराध के लिए जांच करने वाली इकाइयों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या ये इकाइयां महिलाओं के विरूद्ध जघन्य अपराध से निपटने के लिए विद्यमान अवसंरचना को प्रबलित करेगी; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) से (घ): विशेष रूप से महिलाओं के प्रति बलात्कार, दहेज के कारण मौत, तेजाब से हमला और मानव दुर्व्यापार जैसे जघन्य अपराधों के लिए जांच तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 50:50 लागत भागीदारी आधार पर 714 पुलिस जिलों में महिलाओं के प्रति अपराध संबंधी जांच यूनिटें (आईयूसीएब्ल्यू) की स्थापना करने में राज्यों की सहायता करने का प्रस्ताव किया था। आईयूसीएडब्ल्यू का उद्देश्य महिलाओं के प्रति जघन्य अपराधों; विशेष रूप से बलात्कार, दहेज के कारण मौत,

----2/-

तेजाब से हमला, मानव दुर्व्यापार और महिलाओं के साथ बर्बरता सहित घरेलू हिंसा के संबंध में राज्य के जांच तंत्र का संवर्धन करना, महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करने और उन्हें आगे आने और अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए प्रोत्साहित करना तथा महिलाओं से संबंधित कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य पुलिस बलों में महिलाओं के अनुपात में सुधार करना है। ऐसी 150 यूनिटें पहले ही स्थापित कर ली गई हैं।

ये यूनिटें महिलाओं के प्रति अपराध को रोकने के लिए अनुकूल पुलिस व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पदाधिकारी उपलब्ध कराएंगी और आसूचना एकत्र करने, संगठित अपराधों से निपटने, विधायी उपबंधों के उचित कार्यान्वयन की निगरानी करने, जागरूकता सृजन में सहायता करने और सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करेंगी।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूचि के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और, इसलिए, अपराध को रोकने, इसका पता लगाने, दर्ज करने, जांच और अभियोजन का मुख्य दायित्व राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है।